फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू

मधुलता बनाम सतीश

मुकदमा संख्या /वर्ष : 259/2024

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		उपरान्त हम पाते हैं कि वादग्रस्त आराजी ख. नं. 171 लगायत 176 कुल किता 6 कुल रकबा 1.96 है. वाके ग्राम दादनपुरा तह. चाकसू प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज भूमि है। प्रार्थी की भूमि के लगती ही अप्रार्थी की भूमि है, जिनके मध्य की सीमाओं को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य विवाद है। यदि अप्रार्थी प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी से जबरन बेदखल करेगा तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होने की पूर्ण संभावना है। अतः प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में दिखाई देता है। प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर प्रा. पत्र के चरण सं. (2) में वर्णित वादग्रस्त आराजी पर ताफैसलावाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर [illegible] हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	